

न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला - अजमेर

राजस्थान सरकार जारिए पटवारी हल्का- खरवा II बनाम श्री रहमान पुत्र लाला  
जाति मेरात निवासी रूपारेल  
प्रकरण संख्या 149/2019  
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट

-निर्णय:-

दिनांक 29.7.19


पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का खरवा II द्वारा सम्वत् 2078 ग्राम रूपारेल की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 3374 कुल रकबा 4-18 किल्ल भूमि गै.क. 111 में से रकबा 3-00-00 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री रहमान पुत्र लाला जाति मेरात निवासी रूपारेल द्वारा नाजायज पन्नी 3374 व 5317 व 5318 कर लिये जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 29.7.19 को नुकाम मसूदा पर उपस्थित होने वाक्य जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी वतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः श्री रहमान पुत्र लाला जाति मेरात निवासी रूपारेल को सिवायचक भूमि ग्राम रूपारेल के खसरा नं० 3374 कुल रकबा 4-18 किल्ल भूमि गै.क. 111 से रकबा 3-00-00 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बंदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान ..... का पचास गुणा 50/- रुपये वतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खडी फसल/ अन्य को जब्त सरकार कर निलास किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली वाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।

  
(प्रमात त्रिपाठी)  
तहसीलदार मसूदा  
जिला - अजमेर

